राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज.)

पीठासीन अधिकारी : – अजीत सिंह राठौड़ (RAS) उपखण्ड अधिकारी

प्रार्थनापत्र संख्या :– **212 / 2024**

दायर तारीख 18 / 06 / 2024

अनवान

01. नाराणी पत्नि उदा जाति गुर्जर उम्र वयस्क निवासी बांका तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा।

...........प्रार्थीयां

बनाम

01. सीताराम पुत्र कल्याण उम्र बालिग जाति गुर्जर निवासी बांका तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा।
02. स्टैट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर शाखा बिजौथ्लयां वर्तमान भारतीय स्टैट बैंक शाखा बिजौलियां जिला भीलवाड़ा।
03. राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार बिजौलियां जिला भीलवाड़ा।

.... विपक्षीगण

उपस्थित :1. श्री मुकेश कुमार धाकड – ....अधिवक्ता प्रार्थी
2. श्री रामफूल धाकड़ – ....अधिवक्ता विपक्षी संख्या 01

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए (1) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

निर्णय

दिनांक 22/07/2025

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीयां द्वारा जरिये अधिवक्ता मुकेश कुमार धाकड़ ने **प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए (1) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955** विरूद्ध विपक्षीगण पेश कर निवेदन किया/अनुतोष चाहा की प्रार्थीयां के स्वामित्व की खातेदारी ग्राम बांका पटवार हल्का भोपतपुरा भू.अभि.निरिक्षक बिजौलियां तहसील बिजौलियां में स्थित खाता संख्या 121 खसरा नम्बर 881/34 रकबा 0.7042 हैक्टेयर भूमि पर आने जाने के लिए 15 फीट चौड़ा रास्ता जो कि उसी ग्राम की आराजी संख्या 34/1 गे0मु0 रास्ता से विपक्षी की आराजी संख्या 1201/34 रकबा 0.4856 हैक्टेयर के पूर्वी दक्षिणी कोने से दक्षिणी भुजा के सहारे सहारे होता हुआ प्रार्थीयां की आराजी नम्बर 881/34 में प्रवेश करता हैं। प्रार्थी कई वर्षों से निरन्तर इसी रास्ते को उपयोग उपभोग कर प्रार्थी द्वारा अपनी आराजीयात पर काश्त की जा रही है। मौके पर वर्तमान में भी रास्ते के आलामात है रास्ता राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज नहीं होने से प्रार्थीयां को अपनी आराजियात में आने जाने के लिये परेशानी का सामना करना पड़ता है। उक्त रास्ते के अलावा प्रार्थीयां के पास अपनी आराजियात पर काश्त करने के लिए आने–जाने हेतु ट्रेक्टर, बैलगाड़ी ले जाने हेतु अन्य कोई रास्ता उपलब्ध नहीं है, प्रार्थीयां को उक्त रास्ते के आने–जाने हेतु कभी भी अवरूद्ध किया जा सकता है। प्रार्थीयां के पास उक्त रास्ते के अलावा अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता वर्तमान में उपलब्ध नहीं है। यह कि प्रार्थीयां को विपक्षी की उक्त आराजियात पर स्थित 15 फीट चौड़े रास्ते को रिकॉर्ड में लेने के बदले में तय किये जाने वाला सरकारी मूल्य के आधार पर मुआवजा को तैयार हैं।

अतः श्रीमान् से निवेदन है कि उक्त प्रार्थीयां द्वारा प्रस्तावित रास्ते को नियमानुसार कायम करवा कर राजस्व अभिलेखों में दर्ज अभिलेख कराया जाने का आदेश फरमावें। प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के साथ नकल जमाबन्दीयां संवत् 2076–2079 ग्राम बांका एवं नक्शा ट्रैस उक्त आराजीयात का पेश किया जो संलग्न पत्रावली है।

प्रार्थनापत्र दिनांक 18.06.2024 को दर्ज रजिस्टर करवाया जाकर विपक्षीगण तलबी जरिये नोटिश मय नकल प्रार्थनापत्र भेज करवाई गई । विपक्षी की बाद तामील प्राप्त हुई जिसे शामिल पत्रावली किया गया। विपक्षी संख्या 01 की ओर से अधिवक्ता रामफूल धाकड़ अधिकार पत्र पेश किया।

लगातार पेज संख्या 02 पर

उप खण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ जिला-भीलवाड़ा

उक्त प्रकरण में तहसीलदार बिजौलियां को निरिक्षण/मौका रिपोट/तथ्यात्मक रिपोर्ट के लिए तहरीर दिनांक 28.02.2025 को जारी की गई। जिसके जवाब में तहसीलदार बिजौलियां से स्थल रिपोर्ट क्रमांक/राजस्व/2025/789 दिनांक 07.05.2025 को प्राप्त हुई जिसे शामिल पत्रावली किया गया।

तहसीलदार बिजौलियां ने अपनी स्थल निरिक्षण रिपोर्ट में अंकित किया कि ग्राम बांका प0ह0 भोंपतपुरा की आराजी नं. 881/34 रकबा 0.7042 है0 भूमि का मौका निरीक्षण किया गया। ग्राम बांका की आराजी नं0 34/1 गेमु0 रास्ता से प्रार्थीया की खातेदारी आराजी नं0 881/34 पर पहुंचने हेतु अप्रार्थी की खातेदारी आ0नं0 1201/34 के दक्षिणी भुजा से 15 फीट का रास्ता चाहा गया जो आराजी नम्बर 1201/34 कुल रकबा 0.4856 है0 में से 0.0208 हैक्टेयर भूमि उपयोग में ली जायेगी जो खातेदार सीताराम पुत्र कल्याण गुर्जर सा0 बांका खातेदार रहन SBBJ शाखा बिजौलियां के नाम दर्ज रेकॉर्ड हैं। उक्त आराजीयात SH व NH स्वीकृत खनन क्षैत्र, संभावित खनन क्षैत्र से 01 कि0मी0 से अधिक दूरी पर स्थित हैं। प्रस्तावित रास्ते को संलग्न नक्शा ट्रेस में लाल स्याही से दर्शा कर प्रस्तावित किया गया हैं।

ग्राम बांका की रास्ते हेतु प्रस्तावित भूमि आराजी संख्या 1201/34 रकबा 0.4856 है0 में से 0.0208 हैक्टेयर भूमि की डी.एल.सी. दर 521200/– रूपये प्रति हैक्टेयर से भूमि की मालियत 10841/– रूपये का दुगुना से 21682/– रूपये की राशि बनती है। तहसीलदार बिजौलियां से स्थल निरीक्षण रिपोर्ट के साथ मौका पर्चा , नकल जमाबन्दी मय नक्शा ट्रैस पेश किया। प्रार्थीयां के अधिवक्ता ने तहसीलदार बिजौलियां से प्राप्त स्थल निरिक्षण रिपोर्ट को स्वीकार किया। पैरोकार सरकार ने किसी प्रकार का ऐतराज जांच रिपोर्ट पर नहीं किया। पत्रावली को बहस के स्तर पर रखा गया।

प्रार्थीयां द्वारा पेश प्रार्थना पत्र एवं प्रस्तुत साक्ष्य एवं उभयपक्ष की बहस सुनने एवं तहसीलदार बिजौलियां से प्राप्त जांच रिपोर्ट का अध्ययन करने के पश्चात् आदेश पारित किए जाते हैं कि:–

–: आदेष :–

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र **अन्तर्गत धारा 251 ए(1) राजस्थान काष्तकारी अधिनियम 1955** प्रार्थीयां के पक्ष में स्वीकार किया जात है कि प्रार्थीयां के स्वयं की खातेदारी ग्राम बांका प0ह0 भोपतपुरा की आराजी नं. 881/34 रकबा 0.7042 है0 भूमि में स्वयं के पैदल, मोटर साईकल, ट्रेक्टर, बैलगाड़ी से आने जाने के लिए रास्ते हेतु विपक्षी की आराजी नम्बर 1201/34 कुल रकबा 0.4856 है0 में से 0.0208 हैक्टेयर भूमि को राजस्व रिकॉर्ड में गैर मुनकीन रास्ता (रास्ता पगडंडिया) अभिलिखित/दर्ज करने के आदेश दिये जाते हैं।

ग्राम बांका की रास्ते हेतु प्रस्तावित भूमि आराजी संख्या 1201/34 रकबा 0.4856 है0 में से 0.0208 हैक्टेयर भूमि की डी.एल.सी. दर 521200/– रूपये प्रति हैक्टेयर से भूमि की मालियत 10841/– रूपये का दुगुना से 21682/– रूपये की राशि बनती है। जो कि बतौर मुआवजा भुगतान योग्य हैं। प्रार्थी द्वारा उक्त राशि जमा कराने पर नियमानुसार रास्ता राजस्व अभिलेख में रास्ता अभिलिखित किया जावें। पालनार्थ तहसीलदार बिजौलियां को लिखा जावें।

आदेश आज दिनांक 22/07/2025 को खुले न्यायालय में सुनाया जाकर लिखवाया गया। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर फैसल शुमार हो।

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला–भीलवाड़ा

(अजीत सिंह राठौड़)
उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियां
उप खण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ जिला-भीलवाड़ा